केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

स.31/सीबीएसई/सीई/एसपीपीएस/2026 **दिनांक: 30.03.2026**

प्रधानाचार्य
सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय

परिपत्र

विषय: अनधिकृत शुल्क की वसूली पर प्रतिबंध के संबंध में

महोदय/महोदया,

यह पत्र दिनांक 17 मार्च 2026 के परिपत्र संख्या: सीबीएसई/एलओसी/एक्स/2025 के संदर्भ में है, जो कक्षा X की द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की सूची (एलओसी) जमा करने से संबंधित है, तथा छात्रों और विद्यालयों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के आधार पर भी है

सीबीएसई ने कक्षा X की द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी जमा करने की प्रक्रिया को तीन चरणों में विभाजित किया है:

- **चरण 1:** केवल एलओसी ही भरा जाना है। कोई शुल्क नहीं देना है। यह चरण केवल द्वितीय बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का पता लगाने के लिए है ताकि सीबीएसई आवश्यक तैयारी कर सके।
- **चरण 2 और चरण 3:** छात्र अपनी उम्मीदवारी/विषयों को प्रस्तुत, परिवर्तित, हटाने या जोड़ने के साथ-साथ आवश्यक परीक्षा शुल्क का भुगतान कर एलओसी को अंतिम रूप दे सकते हैं। यह प्रक्रिया उसी विद्यालय के माध्यम से की जाएगी, जहां से छात्रों ने मुख्य बोर्ड परीक्षा दी थी।

एलओसी जमा करने और परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद भी यदि कोई छात्र द्वितीय बोर्ड परीक्षा में उपस्थित नहीं होने का निर्णय लेता है, तो परिणाम घोषित करने के लिए मुख्य परीक्षाओं में प्रदर्शन का उपयोग किया जाएगा।

बोर्ड के संज्ञान में यह बात आई है कि कुछ विद्यालय द्वितीय बोर्ड परीक्षा के लिए एलओसी जमा करते समय छात्रों से तीन माह की ट्यूशन फीस मांग रहे हैं। यह अभ्यास सीबीएसई के नियमों के सख्त विरुद्ध है और इसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।

निम्नलिखित अपेक्षित है:

- विद्यालयों को एलओसी जमा करने के संबंध में छात्रों से किसी भी प्रकार की अतिरिक्त या अनधिकृत फीस लेने से बचना चाहिए।
- केवल वही शुल्क मान्य है जो एलओसी परिपत्र में निर्धारित परीक्षा शुल्क है।
- विद्यालयों को सीबीएसई के नियमों के पूर्णतः अनुरूप कार्यप्रणालियों का सख्ती से पालन करने और इन नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी गतिविधि को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्देश दिया जाता है। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।

ह/-

(डॉ संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक